

## विक्रय विलेख प्लाट

1. क्षेत्र — उपनिबन्धक कार्यालय हापुड
2. भूमि का प्रकार — आवासीय प्लाट
3. स्थित — सनराईज स्टेट कालोनी निकट फ्लोरा स्टेट कालोनी राजस्व ग्राम शाहमहीउददीनपुर
4. सम्पत्ति का विवरण — प्लाट नम्बर
5. अंश खसरा संख्या — 991
6. मापन की इकाई — वर्गमीटर
7. सडक की स्थिति — लागू नहीं
8. सम्पत्ति की स्थित — अर्द्धनगरीय क्षेत्र
9. सम्पत्ति का क्षेत्रफल— वर्गमीटर
10. कुल आच्छादित क्षेत्रफल— लागू नहीं
11. स्थिति फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य— लागू नहीं
12. निर्मित क्षेत्रफल — लागू नहीं
13. निर्माण का वर्ष — लागू नहीं
14. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है— लागू नहीं
15. प्रतिफल की धनराशि—
17. सर्किल रेट — पृष्ठ संख्या 20 कोड 0158 के अनुसार 7,700/—प्रतिवर्गमीटर है,

हम कि शीशपाल सिंह (PAN IEIPS0993Q) पुत्र श्री खेमचन्द निवासी ग्राम शाहमहीउददीनपुर परगना व तहसील व जिला हापुड (विक्रेता) अन्तरणकर्ता मो. 9690979215

एवं

तहसील व जिला गाजियाबाद (क्रेता) अन्तरिति। मो.

### विक्रीत प्लाट का विवरण:

स्थित सनराईज स्टेट कालोनी निकट फ्लोरा स्टेट कालोनी राजस्व ग्राम शाहमहीउददीनपुर परगना व तहसील व जिला हापुड मे एक नग प्लाट नम्बर कुल क्षेत्रफल (एक सौ एक दशमलव पांच जीरो) वर्गमीटर अंश खसरा संख्या 991 है, जिसकी सीमाएं व नाप:—

पूरब मे —	भुजा — मीटर
पश्चिम मे —	भुजा — मीटर
उत्तर मे —	भुजा — मीटर
दक्षिण मे —	भुजा — मीटर

है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है।

इस विक्रय विलेख पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का पूर्णतः पालन किया गया है। पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है। विक्रीत प्लाट आवासीय है तथा आवासीय प्रयोग के लिये विक्रय किया जा रहा है जो सडक पर नहीं है। जो कि उपरोक्त प्लाट के प्रथम पक्ष स्वामी है और राजस्व अभिलेखो मे उनका नाम मालिक काबिज स्वामी दर्ज है और उक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण भार आदि से मुक्त रहित है, कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय किये जाने मे बाधक नहीं है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त प्लाट को अपने अधिकार स्वामित्व अथवा आधिपत्य आदि सहित बिना कोई अधिकार व अंश बचाये बदले अंकन ——— आधे जिसके अंकन ——— रूपये होते हैं, के उपलक्ष्य मे द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से **निम्नानुसार जिसका पूर्ण विवरण आगे दिया गया है, के द्वारा प्राप्त करके** उक्त विक्रीत प्लाट को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली क्रेता द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व एवं आधिपत्य आदि मे देकर क्रेता द्वितीय पक्ष को व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी व अपने मवक्किल की ही भाँति मालिक काबिज स्वामी व नियमानुसार निर्माण आदि करा लेने व अधिकारी बना दिया है किन्तु क्रेता

## प्रतिज्ञा-पत्र विक्रय

हम कि ----- परगना व तहसील व जिला हापुड अन्तरणकर्ता (विक्रेता) प्रथम पक्ष व

परगना व तहसील व जिला हापुड अन्तरिति (क्रेता) द्वितीय पक्ष।

जो कि निम्न वर्णित सम्पत्ति के प्रथम पक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व हस्तान्तरण करने के अधिकारी है, निम्न सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि-आदि से पाक साफ है व वैधानिक या अवैधानिक दोष रहित तथा विक्रय आदि के लिये अन्य महायदा बय आदि से सुरक्षित है, निम्न वर्णित सम्पत्ति का निश्चित मूल्य अंकन ----- रुपये है, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर ब्याना ----- रुपये **पेशगी** प्राप्त कर लिया है एवं शेष अंकन ----- रुपये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से बैनामा के समय प्राप्त करेगा, मे प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ विक्रय करने का अनुबन्ध कर लिया है, अतः पक्षगण व वारिसान पक्षगण प्रतिज्ञा पत्र की धाराओ का पालन करेगे:-

1. यह कि उभय पक्ष के मध्य बैनामा कराये जाने की अवधि आज से दिनांक ----- तक तय पायी है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त निश्चित अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष से इकरारी सम्पत्ति का बैनामा या बैनामेजात अपने अथवा अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगण, फर्म, संस्था या कम्पनी के पक्ष मे करा ले, प्रथम पक्ष निश्चित अवधि के अन्दर इकरारी सम्पत्ति का बैनामा द्वितीय पक्ष अथवा उनकी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे करने के कोई बहाना या आपत्ति की तो ऐसी दशा मे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को ब्याने का दौगुना अदा करेगे एवं यदि निश्चित अवधि के अन्दर द्वितीय पक्ष इकरारी सम्पत्ति का बैनामा नहीं कराते है तो अवधि समाप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्ष को अपना धन वापिस पाने अथवा बैनामा कराने के लिये वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इकरारी सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के आड, बय, लोन आदि-2 दोषो से पूर्णतयः मुक्त है, बैनामा के समय जो भी जरुरी कागजात इकरारी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है, उनको लाने व उसके खर्चे का दायित्व प्रथम पक्ष विक्रेता का होगा, यह कि यदि सम्पत्ति पर कोई वाद-विवाद या लोन आदि पाया जाता है तो उसकी अदायगी व निपटारे की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी।

**विवरण सम्पत्ति बय तलब:-** स्थित ----- परगना व तहसील व जिला हापुड मे ----- है, जिसका प्रथम पक्ष बजरिये ----- के द्वारा मालिक, स्वामी, काबिज व हस्तान्तरण करने का अधिकारी है, जिसका प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक मे इकरारनामा किया है।

अतः यह लेख इकरारनामा महायदा बय अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, चेतन्यमनोबुद्धि की अवस्था मे बिना दबाव के तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

ह. गवाह .....

ह. गवाह .....

दिनांक :